न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी	:–	**लक्ष्मण राम बिश्नोई,** (RJS) **(जिला न्यायाधीश सवंर्ग)**
जमानत याचिका संख्या	:–	52/2026
सीएनआर संख्या	:–	RJMR260001272026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:–	**28/2026, पुलिस थाना जायल**
अपराध अंतर्गत धारा	:–	**305(ए) भारतीय न्याय संहिता**

बाबू अली उर्फ असलम पुत्र कालू खां, उम्र–24 साल, निवासी वार्ड नंबर 02, हरिजनों का मोहल्ला, सालासर, पुलिस थाना सालासर, जिला चुरू

–– प्रार्थी/अभियुक्त

ः बनाम ः

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, जायल

–– अभियोगी

जमानत प्रार्थना पत्र
अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थितः–

1. **श्री हरि सिंह मांगलिया,** अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्तगण
2. **श्री हरीश पारीक,** अपर लोक अभियोजक, वास्ते राज्य

–ः आ दे श ः– **दिनांकः– 12.03.2026**

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलायी गई तथा केस डायरी तलब की गई। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

02– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि प्रार्थी/मुलजिम साधारण प्रवृति का व्यक्ति है। प्रार्थी/मुलजिम निर्दोष है एवं प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/मुलजिम पर आरोप आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डित नहीं है। प्रार्थी/मुलजिम उपरोक्त पते का स्थाई निवासी है, जहां उसकी चल–अचल सम्पत्ति स्थित होने से उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है एवं प्रार्थी/मुलजिम आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने हेतु तैयार है। अतः जमानत का लाभ प्रदान किया जावें।

03– जिसका विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त रुपयों की चोरी करने के अपराध का अभियोग है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावें।

04– उभय पक्ष के तर्कों का मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

05– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.02.2026 को परिवादी हनुमान प्रसाद द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 11.02.2026 को उसकी दुकान से शाम 5 बजे एक बंदा कैश काउंटर तोड़कर

36,700/– रुपये ले गया। स्कूटी नंबर RJ–37–GS–1063 है। उक्त संपूर्ण घटना उसकी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रखी है।.....इत्यादि उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/2026, पुलिस थाना जायल, अंतर्गत धारा 305(ए) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

06– उभय पक्ष द्वारा उठाये गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा निम्न प्रकरण दर्ज हैः–

क्र.स.	मु.नं. मय दिनांक	अंतर्गत धारा	चार्जशीट नंबर	थाना	विवरण
1.	22/2025	13 RPGO	-	सालासर, चुरू	जैर ट्रायल
2.	169/2025	19/54 RE Act	-	कोतवाली, सीकर	जैर ट्रायल
3.	13/2026	305(a) BNS	-	खुनखुना	जैर तफ्तीश

07– प्रार्थी/अभियुक्त पर परिवादी की दुकान से कैश काउंटर तोड़कर राशि की चोरी करने बाबत् अपराध अंतर्गत धारा 305(ए) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। शेष अनुसंधान एवं प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

ः आदेश ः

08– परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त बाबू अली उर्फ असलम पुत्र कालू खां, उम्र– 24 साल, निवासी वार्ड नंबर 02, हरिजनों का मोहल्ला, सालासर, पुलिस थाना सालासर, जिला चुरू की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के समक्ष 50,000/– रूपये का मुचलका एवं 25,000–25,000/– रूपये की दो जमानतें, इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करावें कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आएगा, प्रकरण के विचारण में विलंब नहीं करेगा, गवाहान को प्रभावित नहीं करेगा, न्यायालय की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा एवं अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, तो उन्हें जमानत का लाभ दिया जाता है।

09– इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई–मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलंब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटाई जावें।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)

10– आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण राम बिश्नोई)